आसन की घोषणा

माननीय सदस्यगण,

आपको सूचित करना है कि सदन की कार्यवाही को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से शून्यकाल की सूचनाएँ अब ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार की जाएँगी। यह नई व्यवस्था सोमवार दिनांक 23 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगी।

उक्त तिथि से सभी माननीय सदस्य शून्यकाल की सूचना निर्धारित समय–सीमा के भीतर विधान सभा की अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल नेवा के माध्यम से ही प्रेषित करेंगे।

इसमें नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। शून्यकाल की सूचना के सन्दर्भ में नियमावली के नियम पूर्ववत ही हैं। सिर्फ प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण यह है कि सदन की बैठक की निर्धारित तिथि को ही शून्यकाल की सूचना ली जाएंगी। ऑफलाइन अथवा हस्तलिखित एवं भौतिक रूप में दी गई सूचनाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। सूचनाएं ऑनलाइन माध्यम यानी नेवा के माध्यम से ही ली जाएंगी। सूचनाएं यूनिकोड फॉन्ट में टंकित होनी चाहिए। पचास शब्दों की शब्द सीमा में होनी चाहिए।

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल वह अवधि है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद और सूचीबद्ध कार्य शुरू होने से पहले होती हैं।

यह दोपहर 12 बजे आरंभ होती है—इसलिए इसे "शून्य काल" कहा जाता है।

इसमें जनहित के तात्कालिक और अति लोकमहत्व के विषयों को उठाना चाहिए। जिन पर तुरंत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक हो। इसमें यह अवश्य ध्यान रखें कि जो विषय प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका की सूचनाओं में पूछे गए हों वे शून्यकाल में न पूछे जाएं।

आपकी शून्यकाल की सूचना के लिए सभा की निर्धारित तिथि को ठीक नौ बजे नेवा पोर्टल खुलेगा। यह दस बजे तक खुला रहेगा। इसमें क्रम भी स्वतः निर्धारित होता जाएगा। आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु विधान सभा सचिवालय के नेवा सेवा केंद्र की सेवा आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अब आपको न तो सुबह–सुबह और न ही 9 बजे सुबह सचिवालय आना पड़ेगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्य इस नई प्रणाली को अपनाकर सदन की कार्यकुशलता में सहयोग प्रदान करेंगे।